



2026:AHC:37186

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2492/2026

अशोक कुमार

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: हितेश कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती थी, विशेष रूप से आरोप वर्ष 2017-2018 के लिए है। यह भी तर्क दिया गया कि पंचायत राज नियमों के नियम 257(2) के तीसरे परंतुक के अनुसार, किसी भी अधिकारी या सेवक को ऐसी हानि या दुरुपयोग होने के चार वर्ष बाद उस हानि या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
2. मामले पर विचार आवश्यक है।
3. प्रतिवादी छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवाद दाखिल कर सकते हैं। इसके पश्चात दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल किया जा सकता है।
4. इसके पश्चात सूचीबद्ध करें।
5. अगली सुनवाई की तिथि तक, जिला विकास अधिकारी, जिला-सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 12.01.2026 को पारित आक्षेपित आदेश, जहाँ तक यह रिट याचिकाकर्ता से संबंधित है, स्थगित रहेगा।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

राजेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”